राजस्व अपील संख्या : 80 / 2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 80 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 477

अपीलाण्ट :–

भभूतसिंह पुत्र श्री लच्छाजी
जाति राजपूत निवासी धणा,
तहसील बाली, जिला पाली
राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. कृष्णा कंवर पत्नी छत्तरसिंह
2. सरोज कंवर पत्नी जितेन्द्रकुमारसिंह
   जातिगण राजपूत निवासीगण केनपुरा
   तहसील सुमेरपुर
3. पप्पाराम हाल पटवारी हल्का धणा,
   तहसील सुमेरपुर
4. सत्यनारायण लौहार नायब तहसीलदार
   तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर जिला पाली
   राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा धणा तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 23.05.2024 जो नायब तहसीलदार तखतगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 04.02.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा धणा तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 23.05.2024 जो नायब तहसीलदार तखतगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवाने हेतु** पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट भभुतसिंह ने एक वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में धारा 88, 188 के तहत सरहद मौजा धणा के हाल खसरा नम्बर 413, 414 415, 416, 417 व 418 कुल रकबा 19.66 हैक्टेयर का स्वर्गीय केसा पुत्र जावंतीग के वारिसान के विरुद्ध तारीख 09.07.2014 को पेश किया था, जिस वाद पत्र में तारीख 07.07.2014 को पटवारी हल्का धणा द्वारा जारी जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया गया था जिसके राजस्व वाद संख्या 58 / 2014 रहें है, जिस वाद का निर्णय राजस्व लोक अदालत 2015 में कैम्प कोर्ट लापोद में तारीख 22.05.2015 को करते हुये सम्पूर्ण भूमि का अपीलाण्ट वादी को खातेदार घोषित करते हुये सक्षम न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया था। जिस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध रिव्यु प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा 229 राजस्व काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 47 एवं धारा 151 सी.पी.सी. एवं आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने माननीय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में पेश किया जो प्रार्थना तारीख

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 80/2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

27.07.2015 को दर्ज हुआ एवं बाद सुनवाई व आपत्तियों के तारीख 16.04.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को पुनरावलोकन में अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थी को प्रकरण संख्या 58/2014 में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करने का निर्णय पारित किया जाता है। पत्रावली में वादी अधिवक्ता संशोधित शीर्षक एवं प्रार्थी सी.पी.सी. प्रावधानानुसार जवाब पेश करे प्रकरण संख्या 58/2014 पुनः दर्ज रजिस्टर हो। इस निर्णय में रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार को कोई निर्देश जारी नहीं किये गये थे न ही उन्हें किसी प्रकार का आदेश भेजा गया था उसके बावजुद रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक व दो से मिलावट कर खातेदारी में अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज होते हुये भी नामान्तरकरण जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेण्ट एक व दो ने अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया जिस बाबत नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 23.05.2024 को नायब तहसीलदार तखतगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया। जिस नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलाण्ट्स की तरफ से उपरोक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने के कारण काबिल खारिज है।
2. यह है कि अपीलाण्ट के पक्ष में राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट लापोद में वाद संख्या 58/2014 में निर्णय दिनांक 22.05.2015 द्वारा सरहद मौजा धणा के हाल खसरा नम्बर 413,414,415,416,417 व 418 कुल रकबा 19.66 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से का वादी भभुतसिंह खातेदार पहले से था व 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषित किये जाने से सम्पूर्ण रकबा भूमि का वादी भभुतसिंह को खातेदार घोषित किया जिसके आधार पर भभुतसिंह के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड मूल जमाबंदी दर्ज किया गया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध 1/2 हिस्से के खातेदार सुकी, उगी, पुत्रिया भेरुसिंह, सुरसिंह पुत्र छतरसिंह, तेजसिंह पुत्र केसा के आम मुख्त्यार भवानीशंकर पुत्र भीमराज ने तारीख 03.07.2014 को आम मुख्त्यारनामा प्राप्त कर एक रजिस्ट्री कृष्णा कंवर के नाम दिनांक 15.01.2015 को करवायी जिसके आधार पर कृष्णा कंवर ने माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में निर्णय व डिक्री को रिव्यु करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2015 को पेश किया जो रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट एवं धारा 47 एवं 151 सी.पी.सी. व आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जिस रिव्यु प्रार्थना पत्र को तारीख 16.04.2024 को स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने आदेश पारित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को पुनरावलोकन में अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थी को प्रकरण संख्या 58/2014 में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करने का निर्णय पारित किया जाता है। पत्रावली में वादी अधिवक्ता संशोधित शीर्षक एवं प्रार्थी सी.पी.सी. प्रावधानानुसार जवाब पेश करे प्रकरण संख्या 58/2014 पुनः दर्ज रजिस्टर हो। इस प्रकार इस आदेश में कही भी यह निर्देश रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार के नाम नही था कि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट की जगह रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो खातेदार दर्ज किया जा सके बावजुद इसके रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो से मिलावट कर रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार ने नामान्तरकरण जैर अपील भरकर खातेदार दर्ज करवा दी जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील स्पष्ट रुप से विधि के मूल भूत सिद्धान्तों के विरुद्ध भरा जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है।
3. यह कि न्यायालय ने निर्णय पारित किया उस निर्णय की अनुपालना में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के अलावा अन्य पूर्व वाद के प्रतिवादीगण सुकी, उगी रतन कंवर पुत्रीया भैरुसिंह, सुरसिंह पुत्र छतरसिंह,राजकंवर, पंकी कंवर, चम्पा कंवर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 80 / 2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

पुत्रीया छतरसिंह, तेजसिंह पुत्र केसा व रुपसिंह पुत्र केसा जाति राजपूत निवासी भाचुन्दा को सुनवायी का समुचित अवसर देकर न्यायालय द्वारा मेरिट पर कोई निर्णय होता तब जाकर खातेदारी के इन्द्राज दर्ज करने का आदेश होता लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नही समझते हुये प्रतिवादी संख्या एक व दो ने तारीख 23.05.2024 को एक दिन में ही नामान्तरकरण भरा एवं एक ही दिन में नामान्तरकरण की जांच की एवं एक ही दिन में बिना किसी को सुनवाई का अवसर दिये नामान्तरकरण जैर अपील को उसी दिन स्वीकार कर दिया। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध स्वीकृत किये जाने से काबिल निरस्तनीय है।

4. यह कि रिव्यु प्रार्थना पत्र को चुनौति कृष्णा कंवर ने दी थी और उसका आरोप यह था कि निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 के पूर्व ही उसके द्वारा दिनांक 05.01. 2015 को भूमि प्रतिवादी के आम मुख्त्यार भवानीशंकर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद की है हालांकि खातेदारों द्वारा भवानी शंकर को भूमि बैचान बाबत् आम मुख्त्यारनामा देने से इन्कार किया गया है जो तथ्य वाद में निर्णीत होता। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 के बाद रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा तारीख 21.07.2015 द्वारा अन्य प्रतिवादीगण से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा भूमि खरीद करना जाहिर किया गया है जबकि 21.07.2015 को रेस्पोडेण्ट संख्या दो ने अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवायी उसी दिन उन बैचानकर्ताओं को रजिस्ट्री करवाने का हक नहीं था क्योंकि उनके विरुद्ध निर्णय व डिक्री पारित हो चुकी थी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के बाद पक्षकारों की समुचित सुनवाई के बाद निर्णय होता और उसके बाद सक्षम न्यायालय द्वारा नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने बाबत् आदेश पारित होता ओर उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण खोला जाता तो वह कानूनन होता लेकिन इन सभी के पहले बिना किसी अधिकार के केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार से मिलावट कर नामान्तरकरण जैर अपील गलत व गैर कानूनी स्वीकृत करवा दिया जो नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य होने से काबिल खारिज के है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

5. यह कि नामान्तरकरण अपील भरने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जिस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील विधि विधान व प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध भरा जाने से काबिल निरस्तनीय है।
6. यह कि रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने मात्र से रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन वादग्रस्त भूमि के खातेदारी इन्द्राज दर्ज करवाने के अधिकार नहीं होते है। रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार को भी यह जानकारी थी कि रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के बाद कानूनन उसकी म्याद के भीतर नामान्तरकरण नहीं करना चाहिए उसके बावजुद रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के दबाव के मिलीभगती से नामान्तरकरण जैर अपील एक ही दिन में स्वीकृत करवा दिया जो गलत होने से काबिल निरस्तनीय है।
7. यह कि सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के पूर्व ही नामान्तरकरण जैर अपील रेस्पोडेण्ट तमाम ने एक षडयन्त्र के तहत भरकर स्वीकृत किया है जो विधि विधान के विरुद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है।
8. यह कि रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश की गयी है और वहा से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो अन्दर म्याद अपील हैं और अन्दर म्याद ही स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। उसके पूर्व ही रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो से मिलीभगत कर रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 80/2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नामान्तरकरण जैर अपील भरकर एक ही दिन में स्वीकृत करवा दिया जो विधि विधान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 583 को खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या तीन एवं चार बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लायी जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने अपील मीमों का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. अपील मीमों में अपील के आधार से पूर्व उल्लेखित तथ्य सही होने से स्वीकार है जहां तक रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार के निर्दश जारी करने की आवश्यकता नही रहती है, सभी अधिकारियो को स्वयं के पद के अनुसार निहित शक्तियों का सदुपयोग करते हुए कर्तव्य निर्वहन करने की अन्तर्निहित शक्तियां है जिसको प्रश्नगत करने का अपीलाण्ट्स का अधिकार नही है।
2. यह कि उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 58/2014 भभुतसिंह बनाम स्व. केसा के का.मु. सुखी वगैरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 की पालना में भू अधिकार अभिलेखो में नामान्तरकरण के जरिये इन्द्राज किये थे एवं निर्णय दिनांक 22.05.2015 को आदेश दिनांक 16.04.2024 को जरिये अपास्त किये जाने के बाद पूर्व के इन्द्राजों को प्रत्यास्थापन के जरिये पुर्नस्थापित किये जाने हेतु राजस्व कर्मचारी Duty Bound है। जिस सन्दर्भ में धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानो का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है।
3. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने विवादित कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा के सहखातेदारान ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के हक में पजीबद्ध विक्रय विलेखों के जरिये सहखातेदारी के हक हकूक हस्तान्तरित किये जाने के बाद अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो पक्षकार बनाये बिना राजस्व वाद संख्या 58/2014 प्रस्तुत किया गया था।
4. यह कि उक्त अपील के जरिये प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 583 स्वीकृति दिनांक 23.05.2024 के जरिये अपीलाण्ट का नाम भू अधिकार अभिलेखों में विलोपित नहीं किये जाने से अपीलाण्ट व्यथीत पक्षकार नहीं है जिससे अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है।

अपील में उल्लेखित आधारों का जवाब रेस्पोडेण्ट की ओर से पदवार निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. पद संख्या एक अपील में उल्लेखित अभिवचन गलत होने से अस्वीकार है अपीलार्थी पक्ष को उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार पैदा नही होता है क्योंकि उक्त अपील के जरिये प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 583 स्वीकृति आदेश दिनांक 23.05.2024 के जरिये अपीलार्थी का नाम विलोपित नहीं किया गया है।
   कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सन्दर्भ में राजस्व वाद आज भी लम्बित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बेबुनियाद विधिक अधिकारों के अभाव में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग लम्बित है। इस प्रकार संक्षिप्त विचारण की नामान्तरकरण कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त अपील काबिल खारिज है।
2. पद संख्या दो अपील मीमों में उल्लेखित अभिवचन आदेश की पालना में निर्देश अलावा के सही होने से स्वीकार है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 80 / 2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

यह कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री आदेश का अपास्त किये जाने, संशोधित किये जाने पर पूर्व स्थिति को बहाल किया जाना आवश्यक है जिस हेतु सम्बन्धित न्यायालय को शक्तियां प्रदत है उक्त हेतु duty bound है। अपीलार्थी पक्ष ने कही पर यह उल्लेख नहीं किया है की विधि के कोनसे मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है, जिसके अभाव में उक्त अपील काबिल खारिज है।

3. पद संख्या तीन अपील में उल्लेखित कथन पूर्व सहखातेदार सुखी, उगी, रतन कंवर पुत्रियां भैरुसिंह, सूरसिंह पुत्र छत्तरसिंह, राजकंवर, पंकी कंवर, चम्पा कंवर पुत्रिया छत्तरसिंह, तेजसिंह पुत्र केसा व रुपसिंह पुत्र केसा जाति राजपूत निवासी भाचुन्दा का अपीलार्थी आम मुख्त्यार नहीं होने से अपीलार्थी ने उक्त पद में सुखी वगैरा के सम्बन्ध में उल्लेखित की गयी आपत्ति काबिल खारिज है जिस हेतु सुखी वगैरा कार्य करने हेतु स्वयं सक्षम है।

   यह कि निर्णय डिक्री आदेश के अपास्त के तुरन्त बाद एवं इसी प्रकार पंजीबद्ध हस्तान्तरण विलेखों के तुरन्त बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। नामान्तरकरण की कार्यवाही को न्यायसंगत विधिक तोर से पारित स्थगन आदेशो के अभाव में स्थगित रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों के जरिये प्रतिपादित सिद्धान्त के तहत नियमित वाद कार्यवाही लम्बित रहने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना अवैध माना है।

4. पद संख्या चार अपील में उल्लेखित कथन गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पद में उल्लेखित कथनो को यानि की आम मुख्तयारनामा को चुनौति दिये जाने की पात्रता अपीलार्थी पक्ष नहीं रखता है। कानूनन आम मुख्त्यारनामा के निष्पादन वैधता को चुनौति दिये जाने हेतु सिविल न्यायालय को ही सुनवाई करने को अधिकार है। जिससे भी अपीलार्थी की अपील काबिल खारिज है।

5. पद संख्या पांच अपील में उल्लेखित कथन गलत होने से अस्वीकार है। उक्त अपील के जरिये प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 583 स्वीकृति दिनांक 23.05.2024 के सम्बन्ध में अपीलार्थी अजनबी व्यक्ति है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही के जरिये अपीलार्थी का नाम विलोपित नहीं किया गया है।

6. पद संख्या छः अपील में उल्लेखित कथन गलत होने से अस्वीकार है। अपील के जरिये प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही को चुनौति देने का अपीलार्थी को अधिकार नही है।

7. पद संख्या सात अपील में उल्लेखित कथन गलत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद विधिक प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा सन्दर्भ टी.ए. नम्बर 2964 / जयपुर 1997 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2011 के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अपीलार्थी ने सुखी वगैरा एवं सुखी वगैरा के हस्तान्तरित रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो की सहखातेदारी की भूमि हडपने के नापाक उद्देश्य से विधिक प्रावधानों के विपरित षडयन्त्र रचकर वाद प्रस्तुत किया था एवं तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से साठ गाठ कर अवैध तोर से स्वयं के हक में दिनांक 22.05.2015 को निर्णय पारित करवाया था जो निर्णय उक्त अपील से पूर्व अपास्त हो चुका है। जिससे भी अपील काबिल खारिज है।

8. पद संख्या आठ अपील में उल्लेखित कथन अनावश्यक,उलझन में डालने वाले एवं न्यायिक प्रक्रिया को विलम्बित करने वाले है क्योंकि अपीलार्थी ने जानबूझकर स्थगन आदेश पारित होने की दिनांक का उल्लेख नहीं उक्त पद में नही किया है। इस प्रकार अपीलार्थी पक्ष ने सदैव पक्षकारों के विरुद्ध षडयन्त्र रचने एवं राजस्व अधिकारियों को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 80/2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

गुमराह/ब्लेकमेल कर जमीन हड़पने का कुप्रयास करता रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में ही अपीलार्थी ने रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। अतः अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील सव्यय खारिज फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 23.05.2024 को अपास्त करने का निवेदन किया।

इसी प्रकार, काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या एक एवं दो ने उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्ति/जवाब में अंकित कथनों को इंगित करते हुए उनकी पुष्टि हेतु निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

1. 870 RRT 2001 (2)
2. 736 RRT 2024 (2)
3. 936 RRT 2008 (2)
4. 2002 RRD 409
5. 2006 (1) RRT 531
6. 1985 RRD 170
7. 1993 RRD 552

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रकरण की संक्षिप्त विषयवस्तु इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में एक वाद प्रस्तुत कर शेष आधी भूमि का अपीलार्थी को खातेदारी घोषणा चाही गई। उक्त वाद संख्या 58/2014 को राजस्व लोक अदालत कैम्प लापोद में दिनांक 22.05.2015 को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/वादी को शेष आधी भूमि का भी खातेदार घोषित किया गया। अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती कृष्णा कंवर द्वारा दिनांक 05.01.2015 को प्रश्नगत आराजी का एक हिस्सा ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख क्रय किया गया तथा इस आधार पर उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 47 एवं 151 सि.प्र.स. सपठित आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत कर उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 58/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 को रिव्यु कर अपास्त करने का अप्रार्थीया को उक्त वाद में पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती कृष्णा कंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ज़रिए निर्णय दिनांक 16.04.2024 स्वीकार करते हुए पूर्वोक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 22.05.2015 को पुनरावलोकन में अपास्त किया गया तथा अप्रार्थिया को पक्षकार संयोजित करते हुए वाद संख्या 58/2014 को पुनः सुनवाई में लेने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अप्रार्थिया संख्या दो श्रीमती सरोजकंवर द्वारा भी वादग्रस्त कृषि आराजी का एक हिस्सा ज़रिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 28.07.2015 क्रय किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16.04.2024 को पारित पुनरावलोकन निर्णय उपरान्त उपरोक्त दोनों अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.05.2024 को उपतहसीलदार तखतगढ़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 05.01.2015 तथा 28.07.2015 तथा न्यायालय निर्णय दिनांक 16.04.2024 के आधार पर ज़ैर अपील प्रश्नगत आराजी में उनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी धणा की जाँच रिपोर्ट के आधार पर उपतहसीलदार तखतगढ़ द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/भू.अ./24/195 दिनांक 20.05.2024 नामान्तरकरण दाखिल करने के निर्देश दिए गए तथा उक्त की अनुपालना में दर्ज ज़ैर अपील नामान्तरकरण संख्या 583 को दिनांक 23.05.2024 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण संख्या एक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 80 / 2024
उनवान : भभूतसिंह बनाम कृष्णा कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

व दो के नाम प्रविष्टि की गई। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से इसी नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा को न्यायालय हाजा में चुनौति दी है।

यह "स्वीकार्य स्थिति" (Admitted Position) है कि ज़ैर अपील विवादग्रस्त कृषि आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में मूल वाद आदिनांक लम्बित है तथा प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षों के स्वत्व व अधिकारों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य व विस्तृत सुनवाई द्वारा ही होगा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील में संक्षिप्त विचारण (Summary Trial) की प्रक्रिया ही अपेक्षित है। जब अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व से ही मूल वाद लम्बित है, तो विचाराधीन अपील प्रस्तुत करना वाद बाहुल्यता बढ़ाने का प्रयास ही माना जा सकता है।

इसी प्रकार, विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के अनुक्रम में न्यायालय हाजा का भी यह विनम्र अभिमत है कि नामान्तरकरण एक Fiscal Proceding मात्र है, जिसमें अधिकारों व हितों के निर्धारण की उपधारणा नहीं की जा सकती। उक्त हितों व अधिकारों के निर्धारण हेतु पक्षकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में लम्बित मूलवाद में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली